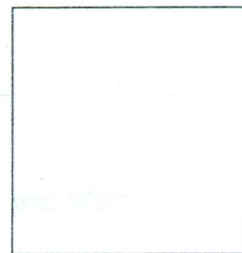


आवेदन पत्र - ग

खाद्य एवं सम्भरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
( राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा उपभोक्ता कार्ड हेतु आवेदन-प्रपत्र)  
( उन अस्थिरियों के लिए जो आधार कार्ड नं० नहीं देना चाहते)



- आवेदक का पूरा नाम.....
- मोबाइल नं० 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
- व्यवसाय .....
- पूरा पता .....
- परिवार की कुल वार्षिक आय (शब्दों में) .....
- पात्रता श्रेणी .....  
(कृपया फॉर्म के पीछे देखें)
- आवेदक एवं सदस्यों का पूर्ण विवरण (प्रथम कॉलम में आवेदक अपना स्वयं का विवरण दें), अधिक सदस्यों के लिये अतिरिक्त सीट का प्रयोग करें ।

| क्र०सं० | नाम | लिंग<br>म/पु० | जन्मतिथि<br>(DD/MM/Y<br>YYY<br>दि/म/वर्ष) | माता का नाम | पिता/पति का<br>नाम | मुख्या<br>संबंध | से | पहचान पत्र<br>संख्या | पहचान<br>पत्र<br>प्रकार |
|---------|-----|---------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|----|----------------------|-------------------------|
| 1.      |     |               |                                           |             |                    |                 |    |                      |                         |
| 2.      |     |               |                                           |             |                    |                 |    |                      |                         |
| 3.      |     |               |                                           |             |                    |                 |    |                      |                         |
| 4.      |     |               |                                           |             |                    |                 |    |                      |                         |
| 5.      |     |               |                                           |             |                    |                 |    |                      |                         |
| 6.      |     |               |                                           |             |                    |                 |    |                      |                         |
| 7.      |     |               |                                           |             |                    |                 |    |                      |                         |

- संलग्न दस्तावेज  
(क) प्रत्येक सदस्य के पहचान पत्र की प्रतिलिपि (ख)स्थायी पते का प्रमाण (यदि पहचान पत्र के भिन्न हैं) ।  
(ग) आय प्रमाण पत्र (जहाँ लागू है) । (घ)आवेदन में लिखे पते का बिजली का बिल ।
- घोषणा :- मैं शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त दी गई सूचना सही है तथा :-
- मैं भारतीय नागरिक हूँ ।
  - मैं और उपरोक्त लिखित सदस्य स्थायी रूप से दिल्ली में रहते हूँ एवं इनके नाम दिल्ली या अन्य किसी राज्य के उपभोक्ता कार्ड में नहीं है ।
  - मैं इस कार्ड का प्रयोग विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुएं प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं करूंगी ।
  - मेरे परिवार के किसी सदस्य के पास चारपहिये या उससे अधिक पहिये वाला वाहन नहीं है ।
  - मेरे घर पर 02 किलोवाट से अधिक बिजली का कनेक्शन नहीं है ।
  - मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है ।
  - मैं या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम कोई जमीन या घर एम.सी.डी. के A से E श्रेणी की कॉलोनी में नहीं है ।
  - मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय/केन्द्र या राज्य की स्वायत्त संस्थाओं इत्यादि में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है ।
  - मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य किसी भी सरकारी स्कीम में राशन/खाद्य सबसिडी प्राप्त नहीं कर रहा है ।
  - मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सूचना झूठी या गलत पायी जाने पर मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 की अधीन सजा की जिम्मेवार होऊंगी व किसी भी गलत सूचना के दिये जाने पर सजा या जुर्माना तथा उपभोक्ता कार्ड के निरस्त किये जाने की स्वयं जिम्मेवार होऊंगी ।

हस्ताक्षर/निवासी अंगूठा (आवेदक/मुखिया)

खाद्य एवं सम्भरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
( राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा उपभोक्ता कार्ड हेतु आवेदन-पावती)

पावती क्रमांक..... फार्म नं०.....  
मण्डल कार्यालय सं०.....

श्रीमती.....से दिनांक.....को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के अंतर्गत उपभोक्ता कार्ड हेतु आवेदन प्राप्त हुआ ।  
मुहर (मण्डल कार्यालय).....हस्ताक्षर (काउंटर सहायक)

### फार्म भरने संबंधी निर्देश एवं जानकारी

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत " राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड" परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला के नाम से बनेगा ।
2. यदि आप निम्न श्रेणियों में से किसी एक से भी संबंधित हैं तो आप इस योजना में शामिल किये जाने के पात्र हैं । विस्तृत जांच के पश्चात् आपका फार्म स्वीकृत किया जायेगा ।

निम्नलिखित में से कोई एक पात्रता श्रेणी में भरें "कॉलम संख्या-9"

- i) स्लम निवासी ।
  - ii) F, G एवं H श्रेणी के पुर्नवास कालोनी के निवासी ।
  - iii) ग्रामीण क्षेत्र के अधिसूचित आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोग ।
  - iv) बेघर व्यक्ति ।
  - v) किन्नर ।
  - vi) निःशक्त व्यक्ति "समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी" अधिनियम, 1995 के अंतर्गत निःशक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले विकलांग व्यक्ति ।
  - vii) एकल महिलायें "घर में किसी दूसरे पर निर्भर रहने वाली महिला", जिसमें विधवा, कुंवारी, तलाकशुदा एवं परित्याक्त महिलायें शामिल हैं ।
  - viii) बेसहारा बच्चे ।
  - ix) पेशागत निर्बल समूह जिसमें कुड़ा बिनने वाले, भवन निर्माण में लगे अकुशल मजदूर, कुली, दिहाड़ी मजदूर, अनियमित घरेलु कर्मचारी, साईकिल रिक्शा चालक, लघु उद्योग एवं कुटिर उद्योगों में लगे अकुशल मजदूर शामिल हैं ।
  - x) अन्य परिवार जिनकी परिवारिक वार्षिक आय रु० एक लाख या उससे कम है ।
3. निम्नलिखित शर्तें देखने के पश्चात् यह निर्धारित किया जायेगा कि आपका आवेदन क्यों नहीं स्वीकृत किया जा सकता :-
    - i) यदि परिवार के किसी सदस्य के पास हल्का या भारी चारपाहिया वाहन है "यदि जीविकोपार्जन के लिये एक व्यावसायिक वाहन है तो उसे अयोग्य नहीं माना जायेगा" ।
    - ii) यदि परिवार के सदस्य के पास दिल्ली में A से E श्रेणी का कोई मकान या जमीन है ।
    - iii) यदि परिवार का कोई भी सदस्य सरकार से किसी भी योजना के अंतर्गत राशन या खाद्य सबसिडी प्राप्त कर रहा है ।
    - iv) यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है ।
    - v) यदि परिवार का कोई सदस्य केन्द्र/राज्य/स्थानीय निकाय/केन्द्र या राज्य की स्वायत्त संस्थाओं इत्यादि में किसी भी पद पर कार्यरत है ।
    - vi) यदि परिवार में बिजली का कनेक्शन 2 किलोवाट से ज्यादा का है ।
  4. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :-
    - i) परिवार के सभी सदस्यों के पहचान पत्र की कापी ।
    - ii) आवेदक के निवास प्रमाण की कापी यदि आवेदन में दिया हुआ पता, पहचान पत्र में दिये हुए पते से भिन्न है । बेघर व्यक्ति के लिये निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
    - iii) राजस्व विभाग द्वारा जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र जहाँ आवश्यक हो । (निर्देश संख्या-2 के (i) से (ix) में आय प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है) ।

5. आवेदन जमा करने का स्थान :-

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र संलग्न दस्तावेजों के साथ, संबंधित मण्डल कार्यालय (राशन दफ्तर) में जमा करें ।